

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- [spazh-up@nic.in](mailto:spazh-up@nic.in)



पत्र संख्या- 239/2024

**AZAMGARH POLICE**

दिनांक- 01.08.2024

**प्रेस नोट**

**थाना – रानी की सराय**

**गैर इरादन हत्या कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 29.7.2024 को थाना स्थानीय पर आवेदिका रेखा सरोज पत्नी राजेश कुमार पासवान ग्राम वीरमपुर थाना जहानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि खुद के पति राजेश कुमार पासवान को अभि० अभियुक्त संजय कुमार सरोज पुत्र रामअवध राम सा० बिन्द्रा बाजार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ हालपता राहुल नगर मडया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के द्वारा विषाक्त पदार्थ खिलाने से उसकी मृत्यु हो गयी है जिसके सम्बन्ध में मु०अ०स० 216/24 धारा 123/105 BNS बनाम संजय कुमार सरोज पुत्र रामअवध राम सा० बिन्द्रा बाजार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ हालपता राहुल नगर मडया थाना कोतवाली आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

**गिरफ्तारी की विवरण-** आज दिनांक 01.08.2024 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह थाना रानी की सराय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संजय कुमार सरोज पुत्र रामअवध राम सा० बिन्द्रा बाजार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ हालपता राहुल नगर मडया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को चेक पोस्ट तिराहे से समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु०अ०स० 216/2024 धारा 105/123 वी०एन०एस थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त --** संजय कुमार सरोज पुत्र रामअवध राम सा० बिन्द्रा बाजार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ हालपता राहुल नगर मडया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

**अपराधिक इतिहास-**

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- (1) व०उ०नि० गोपाल जी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (2) का० रामक्यास कन्नौजिया थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (3) का० धीरज पटेल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (4) म०आ० अनीता मिश्रा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

**थाना रौनापार**

**अवैध तमंचा कारतूस से साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

**गिरफ्तारी का विवरण –** दिनांक 31.07.2024 को व०उ०नि० मधुसूदन चौरसिया मय हमराह के द्वारा शमीम ईट भट्टा ग्राम हिरनई गुल्लीगढ़ के पास से समय करीब 22.05 बजे अभियुक्त तैयब पुत्र नेयाज साकिन हिरनई गुल्लीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार कर मा० न्यायालय चालान किया गया। लिखित फर्द व बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०स० 318/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम तैयब पुत्र नेयाज साकिन हिरनई गुल्लीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है।

**पंजीकृत अभियोग-** मु०अ०स० 318/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-** तैयब पुत्र नेयाज साकिन हिरनई गुल्लीगढ़ थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष

**बरामदगी-** एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज अभियुक्त के पास से बरामद।

**आपराधिक इतिहास-**

क्र०सं०	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद
0				
1	806/20	3/5ए/8 गो०वध नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता नि०अधि० व 307/473 भादवि	थाना कोतवाली	देवरिया
2.	673/23	3/5ए/8 गो०वध नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता नि०अधि०	कोतवाली जीयनपुर	आजमगढ़
3.	333/24	3(1)/2बी(17) उ०प्र० गिरोहबन्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप नि० अधि०	कोतवाली जीयनपुर	आजमगढ़
4.	67/24	3(1) उ०प्र० गैग्रेस्टर अधि०	कोतवाली जीयनपुर	आजमगढ़
5.	242/2009	323/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट	रौनापार	आजमगढ़
6.	318/24	3/25 आर्म्स एक्ट	रौनापार	आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

व०उ०नि० मधुसूदन चौरसिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

का० अमरनाथ शर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

का० मो० तबरेज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

**थाना अतरौलिया**  
**306 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

पूर्व का विवरण – दिनांक 23.06.2024 को थाना स्थानीय पर आवेदक प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 22.06.24 को समय करीब 15.00 बजे विपक्षीगण दीपक,शुभम,सुन्दरम द्वारा प्रार्थी की लडकी से अपने भाई ज्वालामुखी की शादी करने के लिए दबाव बनाते हुए गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दिये जब आवेदक की पुत्री विपक्षीगण को मना कर दी तो विपक्षीगण दीपक,शुभम,सुन्दरम व ज्वालामुखी द्वारा प्रार्थी की पुत्री की फांसी लगाकर हत्या कर दिये जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 231/24 धारा 302 भादवि बनाम 1.दीपक पुत्र रामआसरे 2.शुभम पुत्र रामआसरे 3. सुन्दरम पुत्र रामआसरे 4.ज्वालामुखी पुत्र रामआसरे नि0गण खानपुर फतेह वार्ड नं0 02 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 संतोष कुमार सम्पादित की जा रही है  
→विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 302 भादवि का विलोपन करते हुए धारा 306 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण:-** आज दिनांक 01.08.24 को उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त ज्वाला मुखी पुत्र रामाश्रय सोनकर निवासी खानपुर फतेह वार्ड नं0 02 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष को शव सैय्या हाइवे तिराहे से समय करीब 09.40 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

**पंजीकृत अभियोग –** मु0अ0सं0 231/23 धारा 306 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त –** ज्वाला मुखी पुत्र रामाश्रय सोनकर निवासी खानपुर फतेह वार्ड नं0 02 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास-** मु0अ0सं0 231/23 धारा 306 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह का0 दीपांशु थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

**प्रेस-विज्ञप्ति**

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने अभियुक्त मुलायम मौर्या उर्फ सूर्यभान व इसके 04 सदस्यों को मादक पदार्थ तस्कर गैंग के रूप में किया सूचीबद्ध**

दिनांक- 31.07.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अभियुक्त मुलायम मौर्या उर्फ सूर्यभान मौर्या पुत्र शिवलाल मौर्या निवासी जमुआ थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 36 वर्ष जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए अवैध गांजा की तस्करी जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (मादक पदार्थ तस्कर गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- “डी- 240” होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

- 1- सूर्यमणि यादव पुत्र राम यादव निवास सदहा थाना पट्टी जिला प्रतापगढ़ हालपता 547 जूली आण्डी की चाल संतोष नगर गोरेगाँव मुम्बई महाराष्ट्र, उम्र 42 वर्ष।
- 2- अनुरोध कुमार सिंह पुत्र चन्द्रदेव सिंह निवासी कुंज थाना भभुवा जिला कैमुर बिहार, उम्र 33 वर्ष।
- 3- मनोज कुमार सिंह पुत्र चन्द्रदेव सिंह निवासी कुंज थाना भभुवा जिला कैमुर बिहार, उम्र 41 वर्ष।
- 4- मखन्चू ठठेरा पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी दुल्लहपुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर, उम्र 48 वर्ष।

## प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने अभियुक्त संदीप कुमार व इसके 05 सदस्यों को आपराधिक गैंग के रूप में किया सूचीबद्ध

दिनांक- 31.07.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र दयाराम निवासी बीबीपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, उम्र 20 वर्ष वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए मोटर साइकिल चोरी जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (आपराधिक गैंग) किया गया है। इसका कोड नं०- “डी- 241” होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

- 1- जयहिन्द चौहान पुत्र स्व० सूर्यभान चौहान निवासी कटघर जलाल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, उम्र 23 वर्ष ।
- 2- राजू चौहान पुत्र नीरपत चौहान निवासी कटघर जलाल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, उम्र 22 वर्ष ।
- 3- जोगेन्द्र चौहान पुत्र स्व० संजय चौहान निवासी कटघर जलाल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, उम्र 22 वर्ष ।
- 4- चन्दन चौहान पुत्र रामअचल निवासी सोहौली जगदीशपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़, उम्र 24 वर्ष ।
- 5- राजन पुत्र राजू निवासी सल्लागढ़ कस्बा माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र 25 वर्ष ।

